

277 रुपये में सुरक्षित हो जाएगी आपकी गाड़ी

नई दिल्ली | कार्यालय संवाददाता

दिल्ली सरकार ने देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम कीमत पर वाहनों के लिए 'हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट' (एचएसएनपी) महैया कराने की योजना तैयार कर ली है। हालांकि अब इस योजना को लागू होने में थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि नम्बर प्लेट बनाने वाली एक कंपनी ने इस प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। फैसला अगर सरकार के हक में हुआ तो यहां के वाहन मालिक महज 277 रुपये में ही अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवा सकेंगे।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मई में वाहनों की चोरी रोकने एवं चोरी के वाहनों को अपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने से रोकने के लिए सभी राज्यों को हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने का आदेश दिया था। दिल्ली सहित छह राज्यों ने इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी। सरकार ने नम्बर प्लेट बनाने वाली कंपनी से सिर्फ विशेष प्लेट खरीदने के लिए ठेका आमंत्रित करते हुए इसकी कीमत महज 277 रुपये तय की है। कई कंपनियों ने सरकारी शर्तों के अनुसार टेंडर के लिए आवेदन भी किए लेकिन एक

कंपनी ने वर्तमान नीति को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पूरी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सरकार की ओर से मुख्य अधिवक्ता नज्मी वजीरी ने कंपनी की याचिका को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नम्बर प्लेट का ठेका देने के लिए कोई कानून तय नहीं किया है। अधिवक्ता वजीरी ने कहा कि सरकार सिर्फ नम्बर प्लेट खरीदकर खुद से वाहनों में इसलिए लगाना चाहती है क्योंकि इससे वाहन मालिकों को कम कीमतों में नम्बर प्लेट मिल जाएगा।

अभी कहां-कहां

- दिल्ली: 277 रुपये
- सिक्किम: कार: 2043 रुपये, दो पहिया: 826 रुपये
- पश्चिम बंगाल: 349 रुपये
- दिल्ली में 70 लाख वाहन पंजीकृत
- प्रतिदिन 1100 वाहन हो रहे हैं

ऐसी होगी नम्बर प्लेट

बीच में दो लाइनों में वाहन का नम्बर होगा, बायें और सबसे ऊपर होलोग्राम, इसके नीचे इंडिया और सबसे नीचे स्थायी पहचान लेजर नम्बर अंकित होगा

पंजीकृत

- प्लेट बनाने में लागत: लगभग 200 रुपये

खासियत

इस प्लेट को लगाने के बाद दोबारा किसी भी हाल में खोला नहीं जा सकता, खोलने की कोशिश में प्लेट टूट जाएगी। यहां तक कि इसे स्कैंच करके छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती